

AMG-II (HQ)/2025-26/674-677

Dated 13.04.26

अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु चतुर्थ त्रैमास 2025-26 का पुनरीक्षित यात्रा कार्यक्रम

Revised Tour programme for Compliance Audit for 4th QTP 2025-26

प्रक्षेत्र : ए०एम०जी०-II/ लेखापरीक्षा दल सं० 11/ Sector AMG II/Audit Party No.- 11

दल के सदस्य/ Team Members

क्रम सं०/ Sl. No.	नाम(श्री) /Name (Shri)	पदनाम/Designation	पहचान पत्र सं०/ ID Card No.
1	मनोज कुमार-I/ Manoj Kumar I	व०ले०प०अ०/ Sr. AO	बीएचपीटीएल3340017/ BHPTL 3340017
2	चन्दन कुमार झा / Chandan Kumar Jha	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीएल3031633/ BHPTA3031633
3	रणविजय कुमार/ Ranvijay Kumar	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीएल3031773/ BHPTA3031773
4	विनोद कुमार मंडल/ Vinod Kumar Mandal	व०ले०प०/ Sr. Auditor	बीएचपीटीएल3031518/ BHPTA3031518
5	राजेंद्र कुमार/ Rajendra Kumar	ले०प०/ Auditor	बीएचपीटीएल3340164/ BHPTL3340164

पर्यवेक्षी अधिकारी: श्री मनोज कुमार-I, व०ले०प०अ० (बीएचपीटीएल3340017)

Supervising Officer: Shri Manoj Kumar- I, Sr. Audit Officer (BHPTL3340017)

पर्यवेक्षण की अवधि/Period of Supervision: 12.02.26 से 02.04.26/ 12.02.26 to 02.04.26

नोट: इकाई का लेखापरीक्षा विगत लेखापरीक्षा से लिया गया है

Note: Audit of the Entity taken from Last Audit

क्रम सं०/ SL. NO.	लेखापरीक्षा इकाई का नाम/ Name of the audit entity	लेखापरीक्षा का प्रकार/ Type of Audit	जोखिम श्रेणी (निम्न/मध्यम/उच्च)/ Risk category (Low/ Medium/ High)	अंतिम बार लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा का माह/ Audit of the entity last audited till	पारगमन की तिथियों के साथ अवधि जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षा की जाएगी/ Audit to be conducted during the period with dates of transit		टिपणी/ Remarks
					From	To	
1	2	3	4	5	6	7	8
दिनांक 11.02.26 को दरभंगा से पूर्णिया पारगमन/Transit from Darbhanga to Purnea on 11.02.26							
1	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया / DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Purnia Division, PURNEA (PRNBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	12.02.26	20.02.26	08 कार्य दिवस (15/02- रवि)/ 08 working days (15/02- Sun)
	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अनुपालन			स्थापना से			10 कार्य दिवस (22/02, 01/03- रवि; 03/03, 04/03-

2	पूरुणिया / DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, PURNEA (PRNBCW001)	लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	अभी तक/ Since Inception	21.02.26	06.03.26	अवकाश)/ 10 working days (22/02, 01/03-Sun; 03/03, 04/03- Holiday)
दिनांक 07.03.26 को पूरुणिया से पटना हेतु पारगमन तथा दिनांक 08.03.26 को मुख्यालय से सम्बद्ध/Transit from Purnia to Patna on 07.03.26 and attached to Headquarter on 08.03.26							
दिनांक 09.03.26 को प्रातः में पटना से दरभंगा पारगमन/Morning Transit from Patna to Darbhanga on 09.03.26							
3	उप-निदेशक, कल्याण, दरभंगा डिवीजन, / DEPUTY DIRECTOR (WELFARE), OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WELFARE), DARBHANGA (DBGSCW001)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	मार्च 13/ Mar13	09.03.26	17.03.26	04 कार्य दिवस (30/11- रवि)/04 working days (30/11- Sun)
4	जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा/ District Welfare Officer, Darbhanga (DBGSCW003)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	मार्च 17/ March 17	18.03.26	02.04.26	10 कार्य दिवस (22/03, 29/03- रवि; 26/03, 27/03, 31/03- अवकाश)/10 working days (22/03, 29/03- Sun; 26/03, 27/03, 31/03-Holiday)
दिनांक 02.04.26 को संध्या में दरभंगा से पटना पारगमन/ Evening transit from Darbhanga to Patna on 02.04.26							

नोट: - क्षेत्र दल को निर्देश दिया है कि वे लेखापरीक्षित इकाइयों के स्थान से जो मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं, प्रत्येक सप्ताहांत पर मुख्यालय आएँ। (यह उन स्थानों पर लागू नहीं होगा जहाँ लेखापरीक्षा दल का आवास/भोजन सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, निरीक्षण बंगले, मेस आदि में हो।) {प्राधिकरण हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 3368/बीआरएस/2012 दिनांक 27 जून, 2012 देखें। सभी क्षेत्र दल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के दिन केवल सप्ताहांत के प्रत्यय/उपसर्ग पर ही कार्यालय में उपस्थित हों।

2. दो या अधिक लगातार अवकाश की स्थिति में (रविवार सहित), मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र दल, मुख्यालय से सम्बद्ध होने हेतु अवकाश से पहले वाले दिन संध्या पारगमन का उपभोग करेगी और इसके बाद संबंधित लेखापरीक्षित इकाइयों में शामिल होने के लिए छुट्टी के बाद वाले दिन प्रातः में पारगमन का उपभोग करेगी।

3. दल अपने-अपने आवंटित कार्य/विषय-वस्तु कार्य को इस कार्यालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों/एसओपी के अनुपालन के साथ निष्पादित करेगी।

4. यदि आपको फील्ड विजिट में कोई समस्या आ रही है तो कृपया तुरंत ग्रुप अधिकारी/नोडल कार्यालय (ओआईओएस)/मुख्यालय से संपर्क करें।

5. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिनों के भीतर डेस्क रिव्यू प्रस्तुत करनी होगी।

6. डेस्क स्टडी हेतु वाउचर-वार वीएलसी डेटा को एक्सेल शीट में आरोही/अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है और वाउचर के मूल्य के आधार पर जोखिम विश्लेषण(रिस्क एनालिसिस) किया जाना है।

7. क्षेत्र दल को यह सुनिश्चित करना है कि वे सौंपी गई इकाई के अनुसार उपलब्ध कराए गए एडीएम के अनुसार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को

ईमेल किए गए एलडीपी विषयों पर काम करें।

8. लेखापरीक्षा इकाइयों के अंतिम लेखापरीक्षा का मिलान लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से किया जाना है। विसंगतियों की स्थिति में, इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए।

प्राधिकार: वरिष्ठ उप-महालेखाकार का आदेश दिनांक 30.01.26 एवं 04.02.26

Note: - Field Party is directed to come to Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter. (Not applicable where boarding/lodging of audit team is in Circuit Houses, Guest House, Inspection Bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqrs. Letter no. 3368/BRS/2012 dated 27th June, 2012}. All the field officials have been directed to join the office on declared holiday in State Govt. on Suffix /prefix of weekend only.

2. *In case of two or more consecutive holidays (including Sundays), the field party, within 150 km from Headquarter, shall take evening transit on the day preceding the holiday to report to Headquarter and shall further, avail morning transit on the day succeeding the holiday to join the respective auditee units.*

3. *The Party will perform their respective allotted works/theme work with compliance of instruction/guidelines/SoP issued by this office as well as Ministry of Home Affairs related to Covid-19.*

4. *In case you are facing any issue in field visit please contact to Group Officer/Nodal office (OIOS)/Headquarters immediately.*

5. *Audit Team have to submit Desk Review within 2 days of commencement of Audit.*

6. *For Desk study, Voucher-wise VLC data is to be arranged in ascending/descending order in Excel Sheet and Risk Analysis is to be done on the basis of value of Vouchers item-wise.*

7. *The field party is to ensure to work on the LDP topics emailed to the Sr. AOs as per ADM provided as per the unit assigned.*

8. *The last audit of audit entities are to be matched with the data provided by the auditee unit. In case of discrepancies, the same may be intimated to Headquarters immediately.*

Authority: Sr. Dy. AG/AMG-II dated 30.01.26 and 04.02.26

AMRENDRA VERMA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)

प्रति अग्रसारित//Copy forwarded to: -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना के सचिव/ Secretary to the Pr. Accountant General (Audit) Bihar, Patna
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ दावा/ ए०एम०एस०/ Sr. Audit Officer / Claim / AMS
3. सम्बन्धित क्षेत्र दल/ Party concerned
4. सूचना पट्ट/ Notice Board

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)